न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 02/2013/भीलवाड़ा (2013/00068)

भैरू सिंह सोलंकी पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश दिंनाक 20.02.2013

————

उपस्थितः 1— श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 14—03—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी भैरू सिंह पुत्र मदन सिंह द्वारा टोपीदार बन्दूक 12 बोर एकनाल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 158/88 का लाईसेंसधारी है उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31—12—2012 तक नवीनीकृत है। जिसे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात जिला मजिस्टेट्र, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 20—2—2013 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए शस्त्र को पुलिस थाना कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के यहां जमा करवाने का आदेश प्रदान कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20—2—2013 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपने आदेश में अस्पष्ट कारण रहित एवं नॉन स्पीकिंग आदेश केवल सूचना पत्र के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में खतरे के कारणों के संबंध में स्पष्ट नहीं किये जाने से आवेदन पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अपलार्थी ने अपने आवेदन पत्र के फार्म ए नियम 51 के बिन्दु संख्या 11 सी (2) में सुरक्षा कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा अपीलार्थी ने अपना धन्धा कृषि कार्य दर्शाते हुए लाईसेंस इन्हीं कारणों से नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने सुरक्षा कारणों जिसमें सभी कारण समाहित थे, को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा न्यायालयधीन नहीं है। अपीलार्थी ने सुरक्षा कारणों से टोपीदार बन्दुक 12 बोर एक नाल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 158/88 के लाईसेंस को नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया था। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने सुरक्षा कारणों को खतरे का कारण क्यों नहीं माना गया इसका आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की जबकि अपीलार्थी द्वारा टोपीदार बन्दूक 12 बोर एक नाल का लाईसेन्स सुरक्षा कारणों से नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सुरक्षा कारणों के खतरे को नहीं मानकर अस्पष्ट आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी टोपीदार बन्दूक 12 बोर एकनाल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 158/88 का लाईसेंस नवीनीकरण किये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक भील/विशा0/आर्म्स/13/3175 दिनांक 11–2–2013 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 199/2000 अन्तर्गत धारा 341, 323 भा0द0स0 व प्रकरण संख्या 149/02 अन्तर्गत धारा 336, 323 में दर्ज हो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का आचरण/व्यवहार सामान्य है तथा पिछले तीन वर्षो में हथियार का दुरूपयोग

नहीं किया गया है व शांति भंग करने की कार्यवाही भी नहीं की गई है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना उचित बताया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 199/2000 धारा 341, 323 भा.द.स. में व प्रकरण संख्या 149/02 धारा 336, 323 में दर्ज होकर दोनों आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होने व गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का आदेश पारित किया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/158/88 (मूल 7/67–68) को निरस्त किया जाकर दर्ज हथियार बन्दूक एक टोपीदार एक नाल नम्बर 1228 को थाना कोटडी जिला भीलवाड़ा में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी भैरू सिंह पुत्र मदन सिंह के नाम टोपीदार बन्दूक 12 बोर एकनाल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 158/88 का लाईसेंसधारी है उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2012 तक नवीनीकृत है। आवेदक द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 3175 दिनांक 11–2–2013 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 199/2000 धारा 341, 323 भा.द.स. में व प्रकरण संख्या 149/02 धारा 336, 323 में दर्ज होकर दोनों आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा ने अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का आदेश पारित किया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/158/88 (मूल 7/67–68) को थाना कोटडी जिला भीलवाड़ा में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी–11 दिनांक 20–2–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर